भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5260

02 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कमीशन संरचना में असमानता

5260. श्री किशोरी लाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) केन्द्रों को दिए जाने वाले कमीशन में भिन्नताओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा ऐसी असमानताओं के क्या कारण हैं;

(ख) देशभर में वर्तमान में संचालित पीडीएस केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है और उचित मूल्य की दुकानों तथा अन्य वितरण केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत कमीशन संरचना में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने तथा इस संबंध में राज्यों के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(घ.) पिछले पांच वर्षों से उत्तर प्रदेश राज्य के लिए जारी किए गए खाद्यान्न तथा दलहन का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारतीय खाद्य निगम का नया गोदाम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत प्रचालित है। उचित दर दुकानों को लाइसेंस जारी करना, उचित दर दुकानों की कार्यपद्धति का पर्यवेक्षण और निगरानी आदि सहित प्रचालनात्मक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश 2015 के खंड 9 के उप-खंड (7) के अनुसार राज्य सरकार उचित दर दुकान के मालिकों को मार्जिन के रूप में एक राशि निर्धारित करेगी, जिसकी समीक्षा उचित दर दुकान प्रचालनों की स्थायी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से की जाएगी।

...2/-

उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन/कमीशन/मानदेय आदि की वास्तविक दर निर्धारित करने में केंद्र सरकार की सीमित भूमिका है। केंद्र सरकार, खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, जो अन्य बातों के साथ-साथ व्यय के मानदंडों और केंद्रीय हिस्सेदारी के पद्धति का प्रावधान करते हैं, एनएफएसए के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और हैंडलिंग एवं उचित दर दुकान डीलरों के मार्जिन के खर्च को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करती है। उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, एफपीएस डीलरों के मार्जिन के मानदंडों को भी अप्रैल, 2022 से संवर्धित किया गया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणी	एफपीएस डीलर मार्जिन का घटक	पूर्व-संशोधित मानदंड (दर रुपये प्रति क्विंटल में)	संशोधित मानदंड (दर रुपये प्रति क्विंटल में)	केंद्रीय हिस्सा (प्रतिशत में)
सामान्य श्रेणी	मूल मार्जिन	70	90	50
	अतिरिक्त मार्जिन	17	21	
विशिष्ट श्रेणी	मूल मार्जिन	143	180	75
	अतिरिक्त मार्जिन	17	26	

तथापि, राज्य सरकारें वास्तविक दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों से अधिक हो सकती हैं। केंद्रीय सहायता, नियमों में विनिर्दिष्ट दरें या पूरे राज्य के लिए वास्तविक औसत दरें, जिस पर राज्य सरकार द्वारा वास्तव में व्यय किया गया था, जो भी कम हों, तक सीमित रहेगी।

इसलिए, उचित दर दुकान डीलरों के मार्जिन की वास्तविक दर राज्य-दर-राज्य भिन्न हो सकती है।

देश में उचित दर दुकान की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ): उत्तर प्रदेश राज्य को खाद्यान्नों का आबंटन और आपूर्ति की गई दलहन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(हजार टन में)

वर्ष	खाद्यान्न	दलहन	
	आबंटन	चना दाल	मसूर दाल
2020-21	5802.85	-	-
2021-22	8126.60	-	-
2022-23	6704.91	179164	-
2023-24	9935.48	*185000	-
2024-25	9950.393	56291	78777
कुल	40520.233	420455	78777

*आईसीडीएस के लिए भारत चना दाल दर पर आपूर्ति की गई।

(ङ.): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में भंडारण क्षमता की आवश्यकता मुख्यतः चावल और गेहूं के लिए खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) प्रचालनों पर निर्भर करती है। भारतीय खाद्य निगम भंडारण क्षमता का लगातार आकलन और निगरानी करता है तथा भंडारण अंतर (स्टोरेज गैप) आकलन के आधार पर, भंडारण क्षमताएं सृजित/किराए पर ली जाती हैं:-

यह क्षमताएं निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से सृजित/किराए पर ली जाती हैं:-

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलोज़ का निर्माण
2. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम
3. केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम (सीएसएस)
4. केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना
5. निजी भंडारण स्कीम (पीडब्ल्यूएस)
6. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का सृजन

वर्तमान में, निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी), परिसंपत्ति मुद्रीकरण स्कीम और केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम (2017-25) के तहत अमेठी (उत्तर प्रदेश) में एफसीआई के नए गोदाम स्थापित करने/निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

अनुबंध-I

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कमीशन संरचना में असमानता" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 02.04.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5260 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

एनएफएसए के तहत राज्य-वार उचित दर दुकानों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण

दिनांक 08.02.2025 तक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उचित दर दुकानों की कुल संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	416
2	आंध्र प्रदेश	29,791
3	अरुणाचल प्रदेश	1,680
4	असम	34,300
5	बिहार	50,951
6	चंडीगढ़	उपलब्ध नहीं
7	छत्तीसगढ़	13,675
8	दिल्ली	1,993
9	गोवा	452
10	गुजरात	16,949
11	हरियाणा	9,434
12	हिमाचल प्रदेश	5,219
13	जम्मू व कश्मीर	6,737
14	झारखंड	25,228
15	कर्नाटक	20,403
16	केरल	13,913
17	लद्दाख	404
18	लक्षद्वीप	39
19	मध्य प्रदेश	27,377
20	महाराष्ट्र	52,642
21	मणिपुर	2,339
22	मेघालय	4,735
23	मिजोरम	1,258
24	नागालैंड	1,783
25	ओडिशा	12,044
26	पुदुचेरी	उपलब्ध नहीं
27	पंजाब	18,150

28	राजस्थान	27,062
29	सिक्किम	1,312
30	तमिलनाडु	34,805
31	तेलंगाना	17,246
32	दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव	114
33	त्रिपुरा	2,057
34	उत्तर प्रदेश	79,216
35	उत्तराखंड	9,059
36	पश्चिम बंगाल	20,476
	कुल	543,259

*****